



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 28 जनवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 22,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त प्रभात उर्फ गट्टा पुत्र ऐशवीर सिंह निवासी ग्राम बीघेपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2012 में अपने ही गांव के रामपाल सिंह की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 02.01.2012 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 02/2012 धारा 302, 34, 506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा आरोप पत्र दिनांक 25.04.2012 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 28.01.2025 को न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार शर्मा (मा0 न्यायालय एडीजी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त प्रभात उर्फ गट्टा को आजीवन कारावास व 22,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री देवेन्द्र सिंह व श्री प्रवीण कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर